INDIAN STREAMS RESEARCH JOURNAL
ISSN NO : 2230-7850
IMPACT FACTOR : 5.1651 (UIF)
VOLUME - 12 | ISSUE - 11 | DECEMBER - 2022

भारत में निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य का अध्ययन

तिलकराम आदित्य[1] , डॉ. एस.के. यादव[2]
[1]पीएच.डी. भोधार्थी (राजनीति विज्ञान), अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)
[2]प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान), अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)

सारांश

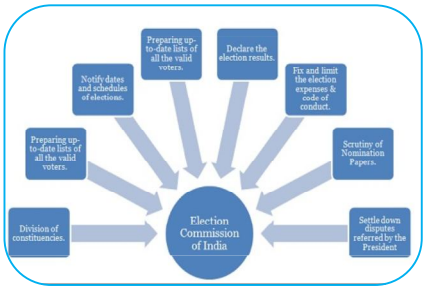

लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में निर्वाचन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। निर्वाचन के माध्यम से ही लोकनीति में नागरिकों के मनों भावों की सहभागिता से प्रजातन्त्र का क्रियान्वयन होता है। विशाल जनसंख्या, विस्तृत भूमि क्षेत्र तथा व्यापक कार्य क्षेत्र के कारण आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों में जनता प्रत्यक्ष रुप से शासन में सहभागी हो, ऐसा असम्भव है। किसी भी लोकतंत्र की सफलता और जनता में उसके प्रति भरोसा, चुनावों की स्वतंत्रता, निष्पक्षता व उनके पारदर्शी होने पर निर्भर करता है। यदि मतदान के अधिकार का ढंग से उपयोग हो ता एक सभ्य और सुन्दर समाज स्थापित हो सकता है तबकि इसके दुरूप्रयोग से समुचित लोकतांत्रिक प्रणाली ध्वस्त हो सकती है। समय के साथ–साथ हमारी चुनाव प्रणाली में कुछ दोष आ गए हैं जिन्हें सुधारा जाना आज लोकतंत्र के स्वस्थ स्पंदन के लिए अत्यंत आवश्यक है।

मुख्य शब्द :– मतदान व्यवहार, लोकतांत्रिक, निर्वाचन, स्वतंत्रता, निष्पक्षता, पारदर्शी, चुनाव प्रणाली।

प्रस्तावना :–

निर्वाचन का अर्थ दो स्तरों पर समझा जा सकता है– पहला प्रक्रियात्मक या संकुचित तथा दूसरा वास्तविक या व्यापक। प्रक्रियात्मक स्तर पर निर्वाचन का अर्थ उस विधि से है जो जनता द्वारा शासकों के चयन हेतु अपनाई जाती है। निर्वाचन का वास्तविक अर्थ अधिक व्यापक है। यहाँ निर्वाचन का अध्ययन लोकतन्त्र के मापदण्ड के रूप में किया जाता है अर्थात् किसी राजनीतिक समाज में किस–किस नागरिक को मताधिकार प्राप्त होगा तथा कौन –कौन सी शर्तें पूरी करने वाले व्यक्ति और राजनीतिक दल चुनाव में उम्मीदवार होने या उम्मीदवार खड़ा करने का अधिकार परखेंगे।

निर्वाचन आयोग की संरचना

समस्त निर्वाचनों को निष्पक्ष, स्वतंत्र और संदेह रहित बनाने के लिए संविधान सभा के विनिश्चय से 'निर्वाचक' शीर्षक के अर्न्तगत भारतीय संविधान के 15 वें भाग में पृथक अध्याय में निर्वाचन से संबंधित समस्त व्यवस्थाओं का उल्लेख किया गया है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराए जाने के तथ्य को विचार में रखकर संविधान निर्माताओं ने यह सोचा कि यह निर्वाचन प्रत्येक 5 वर्ष बाद होता है, अतः यह बड़ा कठिन कार्य है इस कार्य के संचालन के लिए भारतीय संविधान ने चुनाव आयोग की स्थापना का प्रबन्ध किया। भारतीय संविधान के भाग–15 के अनुच्छेद 324 के अर्न्तगत निर्वाचनों का निरिक्षण, निर्देशन और नियन्त्रण करने के लिए निर्वाचन

आयोग की स्थापना की गई है। निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से अपने कार्यों को सम्पादित कर सके। निर्वाचन की मशीनरी द्वारा कार्य करने के लिए निम्न बातों की आवश्यकता है।

1. निर्वाचन संबंधी सब विधि, 2. ऐसा प्राधिकारी जो निर्वाचन का संचालन कर सके, तथा 3. निर्वाचन में उठने वाले विवादों का निपटारा करने की व्यवस्था।

लोकतन्त्र के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समस्त चुनावों को स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से कराए जाने के उद्देश्य से चुनाव आयोग के गठन से पूर्व संविधान निर्माताओं के सामने जो समस्याऐं आई थीं वे इस प्रकार थीं –

1. एक स्थाई चुनाव आयोग का गठन किया जाए, जिसमें 4 या 5 सदस्य हों तथा वे अपने पद पर सेवानिवृति तक बनें रहें ? या,
2. एक अस्थाई संस्था चुनावों के दौरान चुनाव सम्पन्न कराए जाने हेतु राष्ट्रपति द्वारा बना दी जावें ? या,
3. एक स्थाई चुनाव मशीनरी का गठन मुख्यतया निर्वाचन आयुक्त के अधीन गठित कर दी जावे।
4. संविधान सभा के समक्ष यह भी समस्या थी कि या तो ब्रिटेन की तरफ एक केन्द्रीयकृत चुनाव आयोग का गठन किया जाए या फिर अमेरिका की तरह राज्यों को अपने अलग–अलग चुनाव आयोग गठित करने की अनुमति दी जाए।

संविधान सभा ने सभी गुण व अवगुणों का परीक्षण कर यह तय किया कि केन्द्र में एक स्थाई चुनाव आयोग का गठन किया जाए, क्योंकि यह आवश्यकता भी महसूस की गई कि चुनावी तंत्र को केन्द्र की भांति राज्यों में भी न सिर्फ आम चुनाव बल्कि उपचुनाव व मध्यावधि चुनाव कराने का अधिकार दिया जाए। दूसरे, केन्द्रीयकृत चुनाव आयोग की इसलिए भी आवश्यकता हुई क्योंकि संविधान सभा की यह जानकारी में लाया गया था कि कुछ रियायतें धर्म, भाषा व संस्कृति के आधार पर कुछ वर्गों को निर्वाचक नामावलियों में शामिल नहीं करती हैं जो कि लोकतंत्र के लिए खतरनाक स्थितियों पैदा करती है। अतः एक केन्द्रीय चुनाव आयोग के गठन का निर्णय लिया गया था। तदनुरूप संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान के **अनु. 324** के अन्तर्गत निर्वाचन आयोंग की संरचना संबंधी व्यापक उल्लेख इस प्रकार किये –

1. इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमण्डल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदो के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण, एक आयोग में निहित होना (जिसे इस संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया है)।
2. निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से, यदि कोई हो, जितने राष्ट्रपति समय–समय पर नियत करें, मिलकर बनेगा तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ती, संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।
3. जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाता है तब मुख्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
4. लोकसभा के और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन से पहले तथा विधान परिषद वाले प्रत्येक राज्य की विधान परिषद के लिए प्रथम साधारण निर्वाचन से पहले और उसके पश्चात प्रत्येक द्विवार्षिक निर्वाचन से पहले, राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात; खण्ड (1) द्वारा निर्वाचन आयोग को सौपे गए कृत्यों के पालन में आयोग की सहायता के लिए उतने प्रादेशिक आयुक्तों की भी नियुक्ति कर सकेगा जितने वह आवश्यक समझे।
5. संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, निर्वाचन आयुक्तों और प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्ते और पदावधि ऐसी होगी जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करें परन्तु मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जाएगा, जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है अन्यथा नहीं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

6. जब निर्वाचन आयोग ऐसा अनुरोध करे तब, राष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल निर्वाचन आयोग या प्रादेशिक आयुक्त को उतने कर्मचारिवृंद उपलब्ध कराएगा जितने खण्ड (1) द्वारा निर्वाचन आयोग को सौंपे गए कृत्यों के निर्वाचन के लिए आवश्यक हों।

निर्वाचन आयोग : कार्यप्रणाली

निर्वाचन आयोग के लिए भारतीय संविधान द्वारा कोई कार्यप्रणाली निर्धारित नहीं की है। यह उनके अपने विवके पर है, परन्तु तब भी उनके लिए यह आवश्यक होगा कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार कार्य किया जाए। अन्यथा अनु. 14 के अर्न्तगत उनका आदेश भेदभाव वाला माना जा सकता है। यहाँ निर्वाचन बहुत ही व्यापक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है इससे तात्पर्य उस सम्पूर्ण प्रक्रिया से है जिससे होकर कोई उम्मीदवार चुनाव में सफल घोषित है। जब से चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होती है तभी से चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाती है।

अनु. 325 के अनुसार ससंद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमण्डल के लिए प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक साधारण निर्वाचक–नामावली होंगी और केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या इनमें से किसी के आधार पर कोई व्यक्ति ऐसी किसी नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र नहीं होगा या ऐसे किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा नहीं करेगा।

इस अनुच्छेद द्वारा साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो कि ब्रिटिश सरकार के समय से हिन्दू या मुसलमानों के लिए अलग–अलग थी, को समाप्त कर दिया गया। अतः यह उम्मीद की जा सकती है कि भविष्य में इस अनुच्छेद की भावना का सम्मान हो तथा सबके लिए एक ही सिविल कोड हों।

भारतीय संविधान का **अनु. 326** लोकसभा और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचन के लिए वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है जिसके अनुसार लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और ऐसी तारीख को, जो समुचित विधान–मण्डल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस निमित नियत की जाए, 21 वर्ष की आयु से कम नही हों, और इस संविधान या समुचित विधानमण्डल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अनिवास, चितविकृति, अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर अन्यथा निरर्हित नहीं कर दिया जाता है, ऐसे किसी निर्वाचन में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने का हकदार होगा। 61 वें संविधान संशोधन विधेयक, 1989 द्वारा मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गयी है जो कि वर्तमान में 18 वर्ष ही है। इस अनु. के अनुसार वे ही व्यक्ति जो मतदाता होंगे जो कि –

1. भारत का नागरिक हो तथा
2. न्यूनतम आयु 18 वर्ष हों।

वह व्यक्ति जो मतदाता नहीं हो सकते :–

1. निवास ना होना,
2. चित का विकृत होना,
3. अपराध में दोषी होना,
4. चुनाव में भ्रष्ट या अवैध आचरण।

योग्य मतदाता का नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज होना चाहिए बिना उसके वह मतदाता नहीं हो सकता है। भले ही वह उक्त योग्यताएँ रखता हो। यह अनुच्छेद केवल संसद व विधानमण्डलों के लिए ही मतदाता की अर्हता बताता है। स्थानीय प्राधिकारी जैसे पंचायत नगरपालिकाओं के लिए नहीं।

अनुच्छेद 327 – इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, संसद समय–समय पर विधि द्वारा, संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान मण्डल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचनों से संबंधित या ससक्त सभी विषयों के संबंध में, जिनके अर्न्तगत निर्वाचक नामावली तैयार करना, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और ऐसे सदन या सदनों का सम्यक् गठन सुनिश्चित करने के लिए अन्य सभी आवश्यक विषय है, उपबन्ध कर सकेगी। इस संबंध में संसद ने निम्नलिखित अधिनियम बनाए हैं–

1. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 : इसमें निर्वाचन नामावली तैयार करने के विषय में प्रावधान है।
2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 : इसमें संसद व विधान मण्डलों के चुनाव की प्रक्रिया है।
3. लोक प्रतिनिधित्व (विविध प्रावधान) अधिनियम, 1956, तथा
4. परिसीमन अधिनियम, 1962 : इसमे ं निर्वाचन क्षेत्रो ं की सीमाएँ निर्धारित करने के बारे में प्रावधान है।

अनुच्छेद 328 : किसी राज्य के विधान–मण्डल के लिए निर्वाचनों के उपबन्ध करने की उस विधान मण्डल की शक्ति इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए और जहाँ तक संसद इस निमित उपबंध नहीं करती है वहाँ तक, किसी राज्य का विधान–मण्डल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचनों से संबंधित या ससक्त सभी विषयों के संबंध में, जिनके अन्तर्गत निर्वाचक–नामावली तैयार कराना और ऐसे सदन या सदनों का सम्यक् गठन सुनिश्चित करने के लिए अन्य सभी आवश्यक विषय है, उपबंध कर सकेगा।

अनुच्छेद 329 : निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन – इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी –

(क) अनु. 327 या अनु. 328 के अधीन बनाई गई या बनाई जाने के लिए तात्पर्यित किसी ऐसी विधि की विधिमान्यता, जो निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों को स्थानों में आवंटन से संबंधित है किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जाएगी।

(ख) संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान–मण्डल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए कोई निर्वाचन ऐसी निर्वाचन अर्जी पर ही प्रश्नगत किया जाएगा, जो ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से प्रस्तुत की गई है जिसका समुचित विधानमण्डल द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन उपबन्ध किया जाए, अन्यथा नहीं। उक्त दोनों प्रावधान किसी भी निर्वाचन की सफलता के लिए आवश्यक है, यदि इनकों न्यायालय में चुनौती का अधिकार दिया जाता तो चुनाव की सारी प्रक्रिया ही बाधित हो जाती।

निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य

निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य का उल्लेख अनुच्छेद 324 में निहित है। अनु. 324 (1) में निर्वाचन आयोग को सभी महत्वपूर्ण चुनावों के आयोजन एवं अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण का दायित्व प्रदान किया गया है। अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण शब्द निर्वाचन आयोग के व्यापक उत्तरदायित्वों एवं विस्तृत अधिकारों को इंगित करता है जिसे उच्चतम न्यायालय ने भी मनोहर सिंह गिल बनाम चुनाव आयुक्त एवं अन्य विवादों में स्वीकार किया है। इसी प्रकार का निर्णय सादिक अली व अन्य बनाम भारत निर्वाचन आयोग ए. आई. आर. 1972 सु. को., 187 तथा मोहम्मद युनूस बनाम शिव कुमार साही में किया गया है। संवैधानिक प्रावधानो ं के अतिरिक्त जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 एवं 1951, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, 1952, केन्द्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम, 1963, दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 तथा संसद द्वारा बनाए गए अन्य नियम एवं राष्ट्रपति आदेशों के द्वारा चुनाव आयोग को अपने दायित्वों का निर्वाह करने हेतु अधिकार एवं शक्तियाँ प्रदान की गई है।

आयोग के प्रमुख कार्यों एवं अधिकारों को व्यवस्थित रूप से निम्नलिखित रूप में परिलक्षित किया गया है।

1. चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन या सीमांकन करना।
2. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचनों को संचालित करना तथा उनका अधीक्षण, निर्देशन व नियन्त्रण करना।
3. सांसदों की योग्यता के संबंध में राष्ट्रपति को तथा विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देना।
4. लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधान परिषद/सभाओं में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए संविधान के अर्न्तगत आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण भी आयोग करता है।
5. निर्वाचन आयोग राजनैतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता देता है। एवं उन्हें चिन्हों, झण्डों का आवंटन करता है। इस मामले में किसी भी विवाद पर निर्वाचन आयोग का निर्णय मान्य होता है।

6. निर्वाचन आयोग संसद और राज्य विधानमंडल के चुनावों के लिए मतदाता–सूची तैयार करता है और समय–समय पर उसे संशोधित भी करता है।
7. आयोग कार्यपालिका को निर्वाचन संबंधी संवैधानिक प्रावधानों एवं निर्वाचन संबंधी कानूनों एवं आदेशों को पूर्ण करने अथवा उनके पालन हेतु निर्देश दे सकता है।
8. आयोग द्वारा दिए गये निर्देश विधि के अंग के होते है, एवं उनका क्रियान्वयन बाध्य भी हो सकता है। स्वच्छ एवं स्वतंत्र निर्वाचन हेतु आयोग को वैधानिक प्रावधानों के अभाव में पूरक नियमों का निर्माण का अधिकार है।
9. निर्वाचन को संचालित करने के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल से आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए आयोग प्रार्थना कर सकता हैं।
10. यदि कोई निर्वाचन क्षेत्र, सदस्य का निर्वाचन करने में असफल रहे तो आयोग उस निर्वाचन क्षेत्र में पुनः सदस्य के निर्वाचन हेतु मतदान करवाने को अधिकृत है। किन्तु यदि पुनः असफल रहे तो आयोग पुनः मतदान करवाने को बाधित नहीं है, जब तक उसे यह विश्वास न हो जाए कि इस बार निर्वाचन क्षेत्र सदस्य चुनने में असफल नहीं होगा।
11. निर्वाचन के दौरान केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों को कानून एवं व्यवस्था संबंधी स्थिति की रोजमर्रा की रिपोर्ट आयोग को देनी होती हैं।
12. यदि मतदान केन्द्र पर बाधा अथवा रूकावट अथवा किसी भी प्रकार के दंगे अथवा हिंसा अथवा प्राकृतिक संकट के कारण मतदान देना संभव न हो सके या अन्य कारणों से मतदान बाधित हो तो वहाँ मतदान निरस्त कर पुनः मतदान कराने की घोषणा करेगा।
13. निर्वाचन आयोग परिणाम घोषित होने से पूर्व किसी भी कारणों से परिणाम की घोषणा पर रोक लगाने के निर्देश दे सकता है।
14. राजनैतिक दलों को आवश्यकता होने पर आकाशवाणी व दूरदर्शन पर चुनाव प्रचार करने की सुविधा उपलब्ध करवाना।
15. चुनाव में उम्मीदवारों को खर्च करने की राशि निश्चित करना।
16. आयोग परिणाम घोषणा से पूर्व पुर्नमतदान के आदेश दे सकता है, यद्यपि निर्वाचन कानून के तहत कोई विशिष्ट आधार न हो तो भी कुछ स्थिति में आयोग अपने अवशिष्ट अधिकारों का प्रयोग कर सकता है।
17. आम चुनाव के बाद निर्वाचन आयोग लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के चुनाव सम्पूर्ण होने के साथ विजयी प्रत्याशियों की सूची मय उनके दल के अधिसूचना द्वारा जारी करता है और केवल इसके बाद ही सदन एकत्र होने योग्य होगा।
18. यदि कोई व्यक्ति भ्रष्ट आचरण हेतु निर्वाचन याचिका में न्यायालय द्वारा दोषी पाया जाता है तो राष्ट्रपति यह निश्चित करने की अकांक्षा करते है कि उक्त व्यक्ति अयोग्य होना चाहिए और यदि हो तो कितने समय के लिए। इस सन्दर्भ में राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से राय जानने हेतु प्रार्थना कर सकता है।
19. जाली मतदान को रोकने के लिए राज्य सरकारों को मतदाताओं को पहचान पत्र जारी करने का निर्देश देना।
20. राज्य सभा के द्विवार्षिक चुनावों की व्यवस्था करता है।
21. मतदाताओं को मतदान कार्य (राजनीतिक) प्रशिक्षण देना।
22. यदि कोई प्रत्याशी समय सीमा में खर्च का हिसाब बताने में असफल रहता है तो उसे कानून के अनुरूप तीन वर्षों हेतु अयोग्य घोषित करने का तथा अयोग्यता के सन्दर्भ में कोई उचित कारण नहीं होने का निर्धारण करने का निश्चय करने का प्राधिकार है।
23. आयोग को किसी व्यक्ति का भ्रष्ट आचरण के अतिरिक्त अयोग्यता को कम व सामान्य करने का अधिकार है। इस प्रकार मतदान हेतु अयोग्यता को भी समाप्त किया जा सकता है। उदाहरणार्थ – बाल ठाकरे पर चुनाव आयोग ने मतदान के लिए पाबन्दी लगायी।

निर्वाचन खर्च अनुवीक्षण तंत्र :–

मूल रूप से निर्वाचन खर्च को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है पहला है निर्वाचन खर्च जो कि निर्वाचन प्रचार के कानून के अंतर्गत अनुोय है बशर्ते यह अनुोय सीमा के अंतर्गत हो इसमें जनसंख्याओं पोस्टरो बैनरो वाहनों प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापनों जैसे प्रचार संबंधी मतों पर खर्च शामिल होता है। दूसरी श्रेणी में वे खर्च आते हैं जिनको विधि के अधीन अनुमति प्राप्त नहीं होती है। उदाहरण के लिए निर्वाचनो को प्रभावित करने के उद्देश्य से इनको रोज, रुपये शराब या अन्य किसी वस्तु या वितरण करना रिश्वत देने की परिभाषा के अंतर्गत आता है और यह भारतीय दंड संहिता के अधीन एक अपराध है और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अधीन एक भ्रष्ट आचरण है ऐसी मतों पर खर्च करना अवैध है। खर्च का एक और प्रकार जो हाल ही में सामने आ रहा है वह है प्रतिनियुक्ति विज्ञापन पैसा देकर खरीदे गए समाचार न्यूज इत्यादि अतः निर्वाचन खर्च निरीक्षण के दो उद्देश्य है वह प्राप्त मतों पर किए गए सभी यथार्थ निर्वाचन खर्च को सच्चाई पूर्वक दिखाया गया है तथा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए वह खाते की समीक्षा करते समय इस पर समुचित विचार किया गया है। जहां तक प्रतिनियुक्ति विज्ञापन पेड न्यूज सहित निर्वाचन खर्च की दूसरी श्रेणी का प्रश्न है यह स्पष्ट है कि प्रत्याशियों या राजनीतिक पार्टियॉ द्वारा इसकी रिपोर्ट कभी नहीं दी जाएगी।

निर्वाचन विभाग में मतदाताओं की सुविधा के मद्देनजर तहसील वार मतदान केंद्र संख्या जारी की गई जिस मतदान के नाम किसी कारणवश मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो सके या छूट गए यह ऐसे मतदाताओं के नाम तहसील मुख्यालय में जोड़े जा रहे थे नाम जुड़ने के लिए मतदाताओं को जिला मुख्यालय नहीं आना पड़ा लोगों के आवागमन की परेशानी को देखते हुए यह सुविधा दी गई इसके पहले मतदाताओं में नाम मतदान केंद्र में भी बीएलओ द्वारा जुड़े जा रहे थे बीएलओ द्वारा घर–घर जाकर सर्वे का नाम जोड़े गए थे निर्वाचन विभाग के अनुसार नामांकन तिथि के एक दिल पहले तक मतदाता के नाम जोड़े जा सके।

उपसंहार

वर्तमान चुनाव व्यवस्था व मतदान व्यवहार में व्याप्त त्रुटियों, समस्याओं, असंगतियों और दोषों का विवेचन करने का प्रयास किया गया है जिसमें प्रमुख चुनाव में धन के दूषित प्रभाव, बढ़ती हिंसा, अत्यधिक खर्चीले चुनाव निर्दलियों की बढ़ती बाढ़, जाली मतदान की घटनाएं तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान कराने वाली वांछित चुनाव मशीनरी की ही निष्पक्षता पर संदेह, जबरन मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने, समाज के कमजोर वर्ग को मतदान करने से रोकने, चुनाव में जातिवाद, साम्प्रदायिकता तथा भाषावाद का सहारा लेने आदि त्रुटियां है।

वर्तमान आवश्यकता और परिस्थितियों को देखते हुए निर्वाचन सुधार हेतु राइट टू रिकॉल, राइट टू रिजेक्ट, क्षेत्रीय दलों पर अंकुश, ना रहे कोई दागी, 50 प्रतिशत + 1 मत, खर्च की निगरानी, गलत प्रचार पर लगाम, रूके ओपोनियन पोल, परिणाम रोकने का अधिकार, मतदाताओं मे जागरूकता, चुनाव में धर्म अथवा जाति के नाम पर वोट मांगने वाले प्रत्याशी को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य कर दिया जाना चाहिए आदि सुझाव प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। जनतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए चुनाव अपरिहार्य है। यदि चुनाव विकृतिपूर्ण होगं` तो पवित्र और उज्ज्वल लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए यह आवश्यक है कि जल्द से जल्द निर्वाचन प्रणाली को पारदर्शी एवं दोषमुक्त बनाया जाए, तभी विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की गरिमा बरकरार रह सकती है। इसके लिए सरकार, प्रशासन, जनता और चुनाव आयोग को मिलकर काम करना होगा।

संदर्भ सूची :–

- आढ़ा, रामसिंह : भारत में निर्वाचन व्यवस्था : चुनौती एवं सम्भावनाएं, एबीडी पब्लिशर्स, जयपुर, 2008
- चावला, डी.डी. : चुनावी कानून व प्रक्रिया, ब्राही ब्रादर्श, देहली, 1991
- गोस्वामी मूलचंद (2016), भारत में चुनाव सुधार दशा एवं दिशा पोइन्टर पब्लिकेशन जयपुर
- जैन डॉ. पुखराज एवं फडिया बी.एल. (2012) ''भारतीय शासन एवं राजनीति'' साहित्य भवन पब्लिकेशन पृ. 6–44

- कार्ल, जे. फ्रेडरिख : ''कॉस्टीट्यूशन गवर्नमेंट एण्ड डेमोक्रेसी'', ऑक्सफोर्ड एण्ड आईबी.ए च., दिल्ली 1966, पृष्ठ 259
- सी.बी.गेना, तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्थाएं,विकास पब्लिसिंग हाऊस, प्रा0 लि0,नई दिल्ली, 2001, पृष्ठ–946.
- राबर्ट डहल,डेमोक्रेसी एण्ड इटस क्रीटकस, ओरियन्ट लांगमन, दिल्ली.1991, पृ0 213
- भारत का संविधान :– अनुच्छेद, 324 (1)
- शकधर, एस. एल. :– लॉ एण्ड प्रेक्टिस ऑफ इलेक्शन इन इण्डिया, नई दिल्ली, नेशनल, 1992, पृष्ठ–18, बिन्दु–9–10, 12